KM-205
भाग
12.0.05

भारत सरकार मुद्रणालय.....
से दिनांक 13/8/04 को प्राप्त ।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

प्रभारी
राजपत्र वितरण एकक

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

P.O. — 255
KM — 30
D-QA — 5
CPB — 220

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 4, 2004/श्रावण 13, 1926

No. 328] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 4, 2004/SRAVANA 13, 1926

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2004

सा.का.नि. 496(अ).—सत्र के दौरान, लोक सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात् तीस दिन की निर्धारित अवधि समाप्त होने पर जनप्रतिनिधि अधिनियम के खंड 75 के उपखंड (4) के संदर्भ में निम्नलिखित नियम 4 अगस्त, 2004 से प्रभावी होते हैं और सामान्य सूचनार्थ प्रकाशित किये जा रहे हैं:-

लोक सभा सदस्य (आस्तियों तथा देयताओं की घोषणा) नियम, 2004

1. संक्षिप्त नाम :-

इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक सभा सदस्य (आस्तियों तथा देयताओं की घोषणा) नियम,* 2004 है।

2. परिभाषाएं :-

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) ''अधिनियम'' से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) अभिप्रेत है;

(ख) ''समाचार'' से लोक सभा समाचार अभिप्रेत है;

(ग) ''समिति'' से लोक सभा की विशेषाधिकार समिति अभिप्रेत है;

(घ) ''प्ररूप'' से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) ''सदन'' से लोक सभा अभिप्रेत है;

(च) ''सदस्य'' से लोक सभा का निर्वाचित सदस्य अभिप्रेत है;

(छ) ''रजिस्टर'' से नियम 4 के उप-नियम (1) के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की आस्तियों तथा देयताओं की घोषणा का रजिस्टर अभिप्रेत है;

(ज) ''महासचिव'' से लोक सभा का महासचिव अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है जो महासचिव के कर्तव्यों का तत्समय निर्वहन कर रहा है, शामिल है;

(झ) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ञ) ''अध्यक्ष'' से लोक सभा अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ट) जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों को यहां परिभाषित नहीं किया गया, किन्तु उन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में क्रमशः उन्हें दिया गया है।

3. सदस्यों द्वारा आस्तियों और देयताओं के संबंध में सूचना उपलब्ध कराना :—

लोक सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य अपना पद ग्रहण करने हेतु शपथ अथवा प्रतिज्ञान लेने की तिथि से 90 दिन के भीतर धारा 75क की उपधारा (1) के अनुपालन में उम्मीदवार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निम्नलिखित सूचना फार्म 1 में अध्यक्ष को उपलब्ध कराएगा :-

(एक) जंगम और स्थावर सम्पत्ति जिसका वह, उसका पति/उसकी पत्नी और उस पर आश्रित बच्चे संयुक्त अथवा पृथक रूप से स्वामी अथवा लाभभोगी हों;

(दो) किसी सरकारी वित्तीय संस्था के प्रति उसकी देयताएं; और

(तीन) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों के प्रति उसकी देयताएं।

4. आस्तियों और देयताओं की घोषणा करने संबंधी रजिस्टर :-

(एक) महासचिव फार्म II में एक रजिस्टर रखेगा जिसका नाम निर्वाचन सदस्यों की आस्तियों और देयताओं की घोषणा संबंधी रजिस्टर होगा।

* लोक सभा अध्यक्ष द्वारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 75क की उपधारा (3) द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये गए।

(दो) महासचिव नियम 3 के अधीन प्रत्येक सदस्य द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर रजिस्टर में दर्ज करने हेतु प्रविष्टियां कारित करेगा।

(तीन) प्रत्येक सदस्य, उसकी पत्नी/ उसके पति और आश्रित बच्चों के संबंध में जानकारी रजिस्टर में पृथक पृष्ठ पर अभिलिखित की जाएगी।

(चार) रजिस्टर में अंतर्विष्ट सूचना गोपनीय मानी जाएगी और वह सूचना लोक सभा अध्यक्ष की लिखित अनुमति के सिवाय किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं की जाएगी।

5. निर्देश परिवादों द्वारा होगा :—

(1) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी सदस्य के संबंध में परिवाद के अलावा किसी प्रश्न का निर्देश नहीं किया जाएगा कि किसी सदस्य ने इन नियमों के किसी उपबंध का जानबूझ कर उल्लंघन किया है।

(2) किसी सदस्य के संबंध में उपनियम (1) में उल्लिखित प्रत्येक परिवाद किसी अन्य सदस्य या भारत के किसी नागरिक द्वारा लिखित रूप में अध्यक्ष को भेजा जाएगा :

परन्तु अध्यक्ष के संबंध में परिवाद उपाध्यक्ष को भेजा जाएगा तथा उस मामले में ये नियम लागू होंगे जैसे कि पद ''अध्यक्ष'' को पद ''उपाध्यक्ष'' से प्रतिस्थापित कर दिया हो।

(3) किसी सदस्य के बारे में परिवाद करने से पूर्व, परिवादी अपनी संतुष्टि करेगा कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि ऐसे सदस्य ने जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन किया है।

(4) परिवादी के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि परिवाद मिथ्या, तुच्छ या तंग करने वाला नहीं है तथा सद्भाव में किया गया है।

(5) नियम 5 के अधीन किया गया प्रत्येक परिवाद—

(क) में उन महत्वपूर्ण तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा जिन पर परिवादी का भरोसा है, तथा

(ख) के साथ निम्नलिखित संलग्न होगा—

(एक) परिवादी द्वारा विधिवत रूप से प्रतिज्ञात शपथपत्र जिसमें कहा गया हो कि परिवाद मिथ्या, तुच्छ या तंग करने वाला नहीं है तथा सद्भाव में किया गया है; और

(दो) यदि कोई दस्तावेजी साक्ष्य हों जिन पर परिवादी को भरोसा है तो उनकी प्रतियां तथा जहां परिवादी को उसे किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी पर भरोसा हो वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के नाम और पतों का विवरण तथा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी का सारांश।

(6) अभिवचनों के सत्यापन के लिए प्रत्येक परिवाद पर परिवादी अपना हस्ताक्षर करेगा तथा ऐसी रीति से उसका सत्यापन करेगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में निर्धारित है।

(7) परिवाद के प्रत्येक अनुबंध पर भी परिवादी का हस्ताक्षर होगा तथा उसका सत्यापन उसी रीति से होगा जिस रीति से परिवाद का सत्यापन होगा।

6. प्रक्रिया :—

(1) नियम 5 के तहत किसी परिवादी के प्राप्त होने पर अध्यक्ष विचार करेगा कि क्या वह परिवाद उक्त नियम की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

(2) यदि परिवाद नियम 5 की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है तब अध्यक्ष परिवाद को स्वीकार नहीं करेगा तथा तदनुसार परिवादी को सूचित कर देगा।

(3) यदि परिवाद नियम 5 की आवश्यकताओं के अनुरूप है तो अध्यक्ष उस परिवाद और उसके अनुबंधों की प्रतियां बनवाकर उस सदस्य को भिजवाएगा जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया हो, और ऐसा सदस्य ऐसी प्रतियों के प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर, या इसके ऊपर इतनी अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त कारण से अनुमति दे, उस पर अपनी लिखित टिप्पणियां अध्यक्ष को भेजेगा।

(4) उप-नियम (3) के तहत परिवाद के संबंध में अनुमत अवधि (मूल अवधि या उक्त उप-नियम के तहत बढ़ाई गई अवधि) के भीतर प्राप्त टिप्पणियों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् अध्यक्ष,—

(क) यदि वह संतुष्ट हो कि इन नियमों का जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया है, परिवाद को अस्वीकृत कर सकेगा; अथवा

(ख) यदि मामले की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, परिवाद की जांच करके एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समिति के समक्ष भेज सकेगा।

(5) जहां अध्यक्ष उप-नियम (4) के तहत समिति को कोई परिवाद भेजता है, वह—

(क) समिति से इस निष्कर्ष के साथ रिपोर्ट मिलने पर कि सदस्य द्वारा इन नियमों के प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया है, इस मामले को बंद कर देगी, अथवा

(ख) समिति से ऐसी रिपोर्ट मिलने पर जिसमें यह निष्कर्ष गया हो कि इन नियमों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है, रिपोर्ट को सदन के सभा पटल पर बिना किसी विलंब के रखवाएगी ताकि समिति की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट अनुशंसाओं के आधार पर सदन कोई निर्णय ले सके।

6. वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण समिति उप-नियम (4) के अधीन जांच करने के लिए करेगी, जहां तक हो सके, वही प्रक्रिया होगी जिसका समिति किसी सदस्य द्वारा सदन के विशेषाधिकार का भंग किए जाने के किसी प्रश्न का अवधारण करने के लिए अनुसरण करती है और समिति इस निष्कर्ष पर कि सदस्य ने इन नियमों का जानबूझकर उल्लंघन किया था, तभी पहुंचेगी जबकि उस सदस्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का और व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

7. उप-नियम (4) एवं (5) में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्णय को समाचार में प्रकाशित किया जाएगा।

प्रपत्र I

(देखें नियम 3)

क. सदस्यों की परिसम्पत्तियों और देयताओं संबंधी जानकारी

1. सदस्य का नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)
2. पिता/पति का नाम
3. स्थायी पता
4. दिल्ली का पता
5. दल संबद्धता
6. निर्वाचन की तिथि
7. सदन में शपथ लेने/प्रतिज्ञान करने की तारीख

एक. अचल सम्पत्ति का ब्यौरा

(1) राज्य, जिला, उप-संभाग और गांव का नाम जिसमें सम्पत्ति है

(2) सम्पत्ति का ब्यौरा

(क) मकान एवं भवन और उनका वर्तमान मूल्य

(ख) भूमि और उनका वर्तमान मूल्य

(3) स्वामित्व के रूप में धारित है अथवा लाभार्थी के रूप में

(4) संयुक्त रूप में धारित है अथवा पृथक रूप में। यदि सम्पत्ति किसी और के साथ संयुक्त रूप में धारित है तो सदस्य का हिस्सा

(5) यदि सदस्य के नाम धारित नहीं है तो किसके नाम धारित है और सदस्य के साथ उसका क्या संबंध है

(6) कैसे प्राप्त की (क्रय, पट्टा, गिरवी, विरासत, भेंट या अन्य प्रकार से प्राप्त की गई, साथ ही इसकी प्राप्ति की तिथि एवं व्यक्ति का नाम जिससे प्राप्त की गई)

(7) कोई अन्य संगत जानकारी, जो सदस्य देना चाहे

दो. चल सम्पत्ति का ब्यौरा

(1) सम्पत्ति का विवरण (अर्थात् कार/ मोटर साइकिल/आभूषण/ बैंकों/शेयर बाजार/कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं/बीमा पॉलिसी आदि में निवेश)

(2) जहां आवश्यक हो विनिर्माता, माडल (वाहनों के मामले में पंजीकरण संख्या भी)

(3) कैसे प्राप्त की (क्रय/भेंट/गिरवी पट्टा या अन्य किसी प्रकार से)

(4) सम्पत्ति का क्रय मूल्य

(5) क्रय के मामले में वित्तपोषण का स्रोत

(क) निजी बचत

(ख) अन्य स्रोत

(6) कोई अन्य संगत जानकारी जो सदस्य देना चाहे

तीन. वित्तीय संस्थाओं/केन्द्र/राज्य सरकार के प्रति देयताओ का ब्यौरा

(1) बैंकों/कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं/केन्द्र/ राज्य सरकारों से लिए गए ऋण का ब्यौरा

(2) प्रत्येक मामले में लिए गए ऋण की राशि

(3) प्रत्येक मामले में लिए गए ऋण की अवधि

ख. सदस्य की पत्नी/पति द्वारा धारित अचल/चल सम्पत्तियों के बारे में जानकारी

1. सदस्य की पत्नी/पति का नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)
2. पिता/पति का नाम
3. स्थायी पता
4. दिल्ली का पता

एक . अचल सम्पति का ब्यौरा

(1) राज्य, जिला, उप-संभाग और गांव का नाम जिसमें सम्पत्ति है

(2) सम्पत्ति का ब्यौरा
(क) मकान एवं भवन और उनका वर्तमान मूल्य

(ख) भूमि और उसका वर्तमान मूल्य

(3) स्वामी के रूप में धारित है अथवा लाभार्थी के रूप में ?

(4) संयुक्त रूप से धारित है अथवा पृथक रूप में ? यदि सम्पत्ति संयुक्त रूप से धारित है तो उसमें सदस्य का कितना हिस्सा है

(5) यदि-पत्नी/पति के अपने नाम पर नहीं है तो किसके नाम पर है और सदस्य के साथ उसका क्या संबंध है

(6) कैसे प्राप्त की
(क्रय, पट्टा, गिरवी, विरासत, भेंट स्वरूप या अन्य प्रकार से। सम्पत्ति प्राप्ति की तारीख क्या है और इसे किससे प्राप्त किया है)

(7) कोई अन्य संगत जानकारी जो सदस्य देना चाहे

दो. चल सम्पत्ति का ब्यौरा

(1) सम्पत्ति का विवरण (अर्थात् कार/मोटर

साइकिल/आभूषण/बैंकों/शेयर बाजार/
कम्पनियों/वित्तीय संस्थाओं/बीमा पालिसी
आदि में निवेश)

(2) जहां आवश्यक हो विनिर्माता कम्पनी, माडल
(वाहनों के संबंध में पंजीकरण संख्या भी)

(3) कैसे प्राप्त की
(क्रय/भेंट/गिरवी/पट्टा या अन्य प्रकार से)

(4) सम्पत्ति का क्रय मूल्य

(5) क्रय के मामले में वित्तपोषण का स्रोत
(क) निजी बचत

(ख) अन्य स्रोत

(6) स्वामी के रूप में धारित है
अथवा लाभार्थी के रूप में ?

(7) सम्पत्ति सयुक्त रूप से धारित है
अथवा पृथक रूप में?

(8) कोई अन्य संगत जानकारी
जो सदस्य देना चाहे

ग. सदस्य के आश्रित बच्चों के अधिकार में चल और अचल सम्पत्ति के बारे में जानकारी

1. सदस्य के आश्रित बच्चों के नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)

2. पिता/पति का नाम

3. स्थायी पता

4. दिल्ली का पता

एक. अचल सम्पत्ति का ब्यौरा

1. राज्य, जिला, उप-सम्भाग और गांव
जिसमें सम्पत्ति है

(2) सम्पत्ति का ब्यौरा

(क) मकान और भवन तथा
उसका वर्तमान मूल्य

(ख) भूमि एंव उसका वर्तमान मूल्य

(3) स्वामी के रूप में धारित है अथवा
लाभार्थी के रूप में ?

(4) संयुक्त रूप में धारित है अथवा पृथक रूप
में। यदि सम्पत्ति संयुक्त रूप में धारित है
तो उसमें सदस्य का हिस्सा कितना है

(5) यदि बच्चों के अपने नाम नहीं है तो
किसके नाम है और बच्चे के साथ
उसका क्या संबंध है

(6) कैसे प्राप्त की
(क्रय, पट्टा, गिरवी, विरासत, भेट
स्वरूप या अन्य प्रकार से/साथ ही
संपत्ति प्राप्ति की तारीख और इसे
किससे प्राप्त किया)

(7) कोई अन्य संगत जानकारी जो
सदस्य देना चाहे

दो. चल सम्पत्ति का ब्यौरा

(1) सम्पत्ति का विवरण

(अर्थात् कार/मोटर साइकिल/आभूषण/
बैंकों/शेयर बाजार/कम्पनियों/वित्तीय
संस्थाओं/बीमा पालिसी आदि में निवेश)

(2) जहां आवश्यक हो विनिर्माता कम्पनी,
माडल (वाहनों के संबंध में पंजीकरण
संख्या भी)

(3) कैसे प्राप्त की
(क्रय/भेंट/गिरवी/पट्टा या अन्य
प्रकार से)

(4) सम्पत्ति का क्रय मूल्य

(5) क्रय के मामले में वित्तपोषण का स्रोत

(क) निजी बचत

(ख) अन्य स्त्रोत

(6) स्वामी के रूप में धारित है
अथवा लाभार्थी के रूप में?

(7) सम्पत्ति संयुक्त रूप से धारित है
अथवा पृथक रूप में ?

(8) कोई अन्य संगत जानकारी
जो सदस्य देना चाहे

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि उपर्युक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

उपर्युक्त जानकारी में किसी परिवर्तन की स्थिति में मैं नियमानुसार अध्यक्ष महोदय को सूचित करने का वचन देता हूं।

भवदीय,

दिनांक :

सदस्य के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

प्रपत्र II

[देखें नियम 4 (1)]

भाग क

1. सदस्य का नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)

2. पिता/पति का नाम

3. स्थायी पता

4. दिल्ली का पता

5. अचल सम्पत्तियों का मूल्य सहित ब्यौरा
6. चल सम्पत्तियों का मूल्य सहित ब्यौरा
7. देनदारियों का ब्यौरा
8. टिप्पणियां

भाग ख

1. सदस्य की पत्नी/पति का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
2. स्थायी पता
3. दिल्ली का पता
4. अचल सम्पत्तियों का मूल्य सहित ब्यौरा
5. चल सम्पत्तियों का मूल्य सहित ब्यौरा
6. टिप्पणियां

भाग ग

1. सदस्य के आश्रित बच्चों के नाम
2. स्थायी पता
3. दिल्ली का पता
4. अचल सम्पत्तियों का मूल्य सहित ब्यौरा
5. चल सम्पत्तियों का मूल्य सहित ब्यौरा
6. टिप्पणियां

[फा० सं० 13/9/2004/पी०एण्ड ई०]

हस्ताक्षर

जी० सी० मलहोत्रा, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2004

G.S.R. 496(E).—On expiry of stipulated period of thirty days, while in session, after being laid on the Table of Lok Sabha, the following Rules take effect on 4th August, 2004 in terms of sub-section (4) of Section 75A of the Representation of People Act, 1951 and are hereby published for general information :—

The Members of Lok Sabha (Declaration of Assets and Liabilities) Rules, 2004

1. Short title.—

These rules may be called the Members of Lok Sabha (Declaration of Assets and Liabilities) Rules,* 2004.

2. Definitions.—

In these rules the unless context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951);

(b) "Bulletin" means the Bulletin of the House of the People (Lok Sabha);

(c) "Committee" means the Committee of Privileges of the House of the People (Lok Sabha);

(d) "Form" means a form appended to these rules;

(e) "House" means the House of the People (Lok Sabha);

(f) "Member" means the an elected member of the House of the People (Lok Sabha);

(g) "Register" means the Register of Declaration of assets and liabilities of elected members maintained under Sub-rule (1) of Rule 4;

(h) "Secretary-General" means the Secretary-General of the House of the People (Lok Sabha) and includes any person for the time being performing the duties of the Secretary-General.

(i) "Section" means a Section of the Act;

(j) "Speaker" means the Speaker of the House of the People (Lok Sabha);

(k) words and expressions not defined herein but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Furnishing of information regarding assets and liabilities by members.—

Every elected candidate for the House of the People shall, within ninety days from the date on which he makes and subscribes an oath or affirmation for taking his seat, furnish as in Form I the following information as required to be furnished by him to the Speaker in pursuance of sub-section (1) of Section 75A namely :—

(i) the movable and immovable property of which he, his spouse and his dependant children are jointly or severally owners or beneficiaries;

(ii) his liabilities to may public financial institution; and

(iii) his liabilities to the Central Government or to the State Governments.

4. Register of declaration of assets and liabilities.—

(1) The Secretary-General shall maintain a register to be called the Register of Declaration of Assets and Liabilities of Elected Members as in Form II.

(2) The Secretary-General shall cause entries to be made in the Register based on the information furnished by every member under rule 3.

(3) The information in relation to each member, his spouse and dependant children shall be recorded on a separate page in the Register.

(4) The information contained in the Register shall

* Rules made by the Speaker, Lok Sabha in exercise of the powers conferred upon him by Sub-section (3) of Section 75A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951).

2400 GI/04 – 2

be treated as confidential and it shall not be made available to any person except with the written permission of the Speaker.

5. References to be by complaints.—

(1) No reference of any question as to whether a member has wilfully contravened any provision of these rules shall be made except by a complaint in relation to such member made in accordance with the provisions of these rules.

(2) Every complaint referred to sub-rule (1) in relation to a member shall be made in writing to the Speaker by any other member or any citizen of India :

Provided that a complaint in relation to the Speaker shall be made to the Deputy Speaker and in that case these rules shall be applicable as if for the word "Speaker" the words "Deputy Speaker" were substituted.

(3) Before making any complaint in relation to any member, the complainant shall satisfy himself that there are reasonable grounds for believing that such member has wilfully contravened these rules.

(4) It shall be incumbent upon the complainant to ensure that the complaint is not false, frivolous or vexatious and it is made in good faith.

(5) Every Complaint made under rule 5—

(a) shall contain a concise statement of the material facts on which the complainant relies upon; and

(b) shall be accompanied by—

(i) an affidavit duly affirmed by the complainant stating that the complaint is not false, frivolous or vexatious and that it is made in good faith; and

(ii) copies of the documentary evidence, if any, on which the complainant relies upon and where the complainant relies on any information furnished to him by any person, a statement containing the names and addresses of such persons and the gist of such information as furnished by each such person.

(6) Every complaint shall be signed by the complainant and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), for the verification of pleadings.

(7) Every annexure to the complaint shall also be signed by the complainant and verified in the same manner as the complaint.

6. Procedure.—

(1) On receipt of a complaint under rule 5, the Speaker shall consider whether the complaint complies with the requirements of that rule.

(2) If the complaint does not comply with the requirements of rule 5, the Speaker shall not entertain the complaint and intimate the complainant accordingly.

(3) If the complaint complies with the requirements of rule 5, the Speaker shall cause copies of the complaint and of the annexures thereto to be forwarded to the member in relation to whom the complaint has been made; and such member shall within fifteen days of receipt of such copies, or within such further period as the Speaker may for sufficient cause allow, forward his comments in writing thereon to the Speaker.

(4) After considering the comments, if any, in relation to the complaint, received under sub-rule (3) within the period allowed (whether originally or on extension under that sub-rule), the Speaker may—

(a) if he is satisfied that there has not been any wilful contravention of these rules, reject the complaint; or

(b) if he is satisfied, having regard to the nature, and circumstances of the case that it is necessary or expedient so to do, refer the complaint to the Committee for making an inquiry and submitting a report to him.

(5) Where the Speaker makes a reference under sub-rule (4) to the Committee, he shall—

(a) on receipt of the report from the Committee with a finding that there has not been any wilful contravention of the provisions of these rules by the members, treat the matter as closed; or

(b) on receipt of the report from the Committee with a finding that there has been a wilful contravention of the provisions of these rules, cause the report of the Commitee to be laid on the Table of the house without any delay for a decision by the House on the recommendation contained in the report of the Committee.

(6) The procedure which shall be followed by the Committee for the purpose of making an inquiry under sub-rule (4) shall be, so far as may be, the same as the procedure for inquiry and determination by the Committee of any question as to breach of privilege of the House by a member, and the Committee shall come to any finding that a member had wilfully contravened the provisions of these rules only after affording a reasonable opportunity to such member to represent his case and to be heard in person.

(7) Every decision referred to in sub-rules (4) and (5) shall be published in the Bulletin.

FORM I

[See rule 3]

A. Information regarding assets & liabilities of members

1. Name of the Member (in block letters)
2. Father's/Husband's Name
3. Permanent Address
4. Delhi Address
5. Party Affiliation
6. Date of Election
7. Date of taking oath/making affirmation in the House

I. Details of immovable property

(1) Name of the State, District, Sub-division and Village in which property is situated

(2) Details of property
 (a) House and buildings and their present value
 (b) Lands and their present value

(3) Whether held as owner or beneficiary

(4) Whether held jointly or severally. If property held jointly with another person share of property held

(5) If not held in member's own name, state in whose name held and his/her relationship with the member

(6) How acquired (whether by purchase, lease, mortgage, inheritance, gifts or otherwise with date of acquisition and name of person from whom acquired)

(7) Any other relevant information which the member may like to mention

II. Details of movable property

(1) Description of the property (i.e. car/motorcycle/jewellery/ investments in banks/stock markets/companies/financial institutions/insurance policies etc.)

(2) Make, model (and also registration No. in case of vehicles) where necessary

(3) Mode of acquisition (purchase/gift/mortgage lease or otherwise)

(4) Purchase price of the property

(5) In case of purchase, source or sources from which financed
 (a) personal savings
 (b) other sources

(6) Any other relevant information which the member may like to furnish

III. Details of Liabilities of the member to pubic Financial Institutions/Central Government and State Government

(1) Details of loans raised from Banks/Companies/Financial Institutions/Central/State Govemments

(2) Amount of loans raised in each case

(3) The period for which these loans were raised in each case.

B. Information regarding immovable and movable properties held by member's spouse

1. Name of the Member's spouse (in block letters)
2. Father's/Husband's Name
3. Permanent Address
4. Delhi Address

I. Details of immovable property

(1) Name of State, District, Sub-Division and Village in which property is situated.

(2) Details of property
 (a) House and building and their present value
 (b) Lands and their present value

(3) Whether held as owner or beneficiary

(4) Whether held jointly or severally. If property held jointly with member, share of property held

(5) If not held in spouse's own name, state in whose name held and his/her relationship with the spouse

(6) How acquired (whether by purchase, lease, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition and name of person from whom acquired)

(7) Any other relevant information which the member may like to mention

II. Details of movable property

(1) Description of the property (i.e. car/motorcycle/ jewellery/investment in banks/stock markets/ companies/financial institutions/insurance policies etc.

(2) Make, model (and also registration No. in case of vehicles) where necessary.

(3) Mode of acquisition (purchase/gift/mortgage lease or otherwise)

(4) Purchase price of the property

(5) In case of purchase, source or sources from which financed

(a) personal savings

(b) other sources

(6) Whether held as owner or beneficiary

(7) Whether held jointly or severally

(8) Any other relevant information which the member may like to furnish

C. Information regarding immovable and movable properties held by member's dependent children

1. Name of the member's dependent children (in block letters)
2. Father's/Husband's name
3. Permanent Address
4. Delhi Address

I. Details of immovable property

(1) Name of State, District, Sub-divisional and Village in which property situated.

(2) Details of property

(a) House and Buildings and their present value

(b) Lands and their present value

(3) Whether held as owner or beneficiary

(4) Whether held jointly or severally, if property held jointly with member, share of property held

(5) If not held in the child's own name, state in whose name held and his/her relationship with the child

(6) How acquired

(whether by purchase, lease, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition and name of person from whom acquired)

(7) Any other relevant information which the member may like to mention

II. Details of movable property

(1) Description of the property (i.e. car/motorcycle/ jewellery/investment in banks/stock markets/ companies/financial institutions/insurance policies etc.)

(2) Make, model (and also registration No. in case of vehicles) where necessary

(3) Mode of acquisition

(purchase/gift/mortgage lease or otherwise)

(4) Purchase price of the property

(5) In case of purchase, source or sources from which financed

(a) personal savings

(b) other sources

(6) Whether held as owner or beneficiary

(7) Whether held jointly or severally

(8) Any other relevant information which the member may like to furnish

DECLARATION

I,.....hereby declare that the information given above is true and correct to the best of my knowledgte and belief.

In the event of any change in the information given above, I undertake to intimate the Speaker as provided under the rules.

Date :

Yours faithfully,
Signature/thumb impression of member

FORM II

[*See* rule 4(1)]

Part A

1. Name of the member (in block letters)
2. Father's/ husband's name
3. Permanent address
4. Delhi address
5. Details of immovable properties with value
6. Details of movable properties with value
7. Details of liabilities
8. Remarks

PART B

1. Name of member's spouse (in block letters)
2. Permanent address
3. Delhi address
4. Details of immovable properties with value
5. Details of movable properties with value
6. Remarks

PART C

1. Names of member's dependent children
2. Permanent address
3. Delhi address
4. Details of immovable properties with value
5. Details of movable properties with value
6. Remarks

[F. No. 13/9/2004/PRE]
G. C. MALHOTRA, Secy.-General

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.